

डिक्री बमुकदमें ईबादाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 449/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रामेश्वरलाल पुत्र श्री रावताराम जाति जाट निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।  
-वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादी

राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 19.8.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री अनिल सिहाग व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के खसरा नम्बर 821/299 की 85 वर्गमीटर यानि 0.0086 हैक्टेयर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि को वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.8.2025  
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

